

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 256/18 तारीख रजू 23-1-18 रिपोर्ट पटवारी हल्का रकवपुरी बनाम  
श्री रतन पुत्र राजदेव जाति धनीर निवासी रकवपुरी तहसील  
महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 20-2-18

आज यह पत्रावली बमुकाम भद्वत हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री रतन ने ग्राम रकवपुरी को भूमि ख.न. 435 रकबा 0.25 किस्म खरबूट फसल खरीफ संवत् 2074 में खरीफ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मृताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पृष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अपार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 435 रकबा 0.25 किस्म खरबूट वाले ग्राम रकवपुरी से बेदखल किया जाता है। तथा अपार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 4-00 रु 50 गुणा 200= शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल खरबूट को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अपार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्थान लेखाकार व पटवारी को मांग कागामी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार  
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर न/व के केज नं० 55 पर  
वर्ष 2017-18 में पटवारी रकवपुरी निलामी  
की राशि 200 रु है।